अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

92/18/225 खाजू खॉ बनाम छीतर वगैरा

तारीख पेशी	2018/0092 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुभाषचन्द्र जैन श्री एल.एम. पारीक / दीपक पारीक	

खाजू खॉ बनाम छीतर वगैरह

26.9.19

पत्रावली पेश। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है उक्त प्रकरण के नोटिस प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अप्रार्थीगण को आज दिन तक नहीं भिजवाये गये है। अप्रार्थीगण को उक्त एक पक्षीय आदेश की जानकारी होते ही अप्रार्थीगण ने उक्त आदेश की नकले प्राप्त की तब सर्वप्रथम अप्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त एक पक्षीय आदेश के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2017 के पश्चात आगामी पेशी दिनांक 03.01.2018 लगभग 50 दिन बाद की नियत की है जबकि जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए के तहत् एक पक्षीय आदेश का अंतिम रूप से निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 ए जा.दी. के प्रावधानों का उल्लघंन कर उक्त एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट / प्रार्थीगण संख्या 01,2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य छिपाकर विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल आधार पर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 14.11.2017 को प्राप्त किये है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। यदि उक्त कृत्य में वो सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या 28 के आराजी खसरा नम्बर 445 लगायत 452, खसरा नम्बर 459 लगायत 462, खसरा नम्बर 476 लगायत 485 कुल किता 22 कुल रकबा 9.85 है0 व खाता संख्या 8 के खसरा नम्बर 453, 454, 456, 457, 458, 474 / 887, 475 कुल किता 8 कुल रकबा 4.88 है. वाकै ग्राम नोल्या तहसील दूदू में स्थित है के रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण / अपीलांट को ग्राम के कुछ भूमाफिया व्यक्तियों के द्वारा इस आशय से फुसलाया कि भूमि विकसित भी हो चुकी है तथा तुम्हे खर्च की रकम की कोई आवश्यकता भी नही है, जमीन को तुम प्रार्थीगण को काश्त मत करने दो तथा परेशान करो। प्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 को अपने खेत की तारबंदी करने, पोल लगाने की आवश्यकता हुई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पेश किया गया अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 14.11.2012 को यह आदेश दिये कि प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा नही प्रार्थीगण का आराजीयात में मेर, कोर, तारबंदी, पोल लगाने आदि मे कोई व्यवधान उत्पन्न करें एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखलअंदाजी नहीं करने के आदेश दिये है। अप्रार्थीगण / अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर उक्त आदेश दिनांक 14.11.2012 की अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार नहीं होने से खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जावें। . . . .

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुई
	श्री ... श्री ...	

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत प्रकरण में अपील के माध्यम से अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की वैधानिकता पर ही विचार किया जाना है । चूँकि यह अपील अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण की नोटिस तलबी हेतु नियत है। अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर, सीधे तौर पर यह अपील प्रस्तुत की है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अप्रार्थीगण के जवाब व सुनवाई का अवसर दिये ही अपने आदेश दिनांक 14.11.2017 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 को विवादित आराजी पर मेड़ लगान, तारबंदी एवं पोल लगाने के आदेश दिये है तथा प्रस्तुत पुलिस इमदाद हेतु धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पुलिस इमदाद का आदेश जारी कर दिया गया है जिसे भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। चूँकि अपील अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जो एक पक्षीय से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 को विवादित आराजी पर तारबंदी, पोल लगाने की स्वतंतत्रा दी है जबकि विवादित आराजी पर हक व हकूक का निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही होगा। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2017 को निरस्त किया जाना है तथा प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

अतःअपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 14.11.2017, प्रकरण संख्या 31/2017 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 60 दिवस में निस्तारण करें। तब तक उभयपक्षरान आराजी खसरा नम्बर 445 लगायत 452, खसरा नम्बर 459 लगायत 462, खसरा नम्बर 476 लगायत 485 कुल किता 22 कुल रकबा 9.85 है0 व खाता संख्या 8 के खसरा नम्बर 453, 454, 456, 457, 458, 474/887, 475 कुल किता 8 कुल रकबा 4.88 है. वाकै ग्राम नोल्या तहसील दूद की आज दिनांक की मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर